न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद–75/2016

लक्ष्मी देवी बनाम राज्य

–:: आदेश ::–

23.9.17

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील अपीलार्थी लक्ष्मी देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आँगनबाड़ी वाद–35/14–15 में दिनांक–14.11.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद उप निदेशक, कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय से हस्तान्तरति होकर प्राप्त है।

अपीलार्थी का कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र मध्य विद्यालय, झिटकी, केन्द्र संख्या–208, वार्ड नंबर–13 पंचायत–पस्तवार में सेविका के रूप में कार्यरत थी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपीलार्थी के चयन को रद्द कर किसी अन्य के चयन की अनुशंसा की गयी है।

अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी के पत्रांक–588, दिनांक–12.08.2013 द्वारा 24 अभ्यर्थियों का अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना को सत्यापन हेतु भेजा गया था। परीक्षा नियंत्रक, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पत्रांक–69, दिनांक–29.01.2014 द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी को सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी का जन्म तिथि–10.10.1983 एवं मध्यमा परीक्षा में कुल प्राप्तांक 339 है। आगे बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पत्रांक–654, दिनांक 10.09.2014 में कहा गया है कि बोर्ड के पत्रांक–69, दिनांक–29.01.2014 एवं 185, दिनांक–07.03.2014 द्वारा दो सत्यापन प्रतिवेदन निर्गत किया गया है। इसमें पत्रांक–185, दिनांक–07.03.2014 द्वारा निर्गत सत्यापन प्रतिवेदन बनावटी एवं जाली पाया गया। इन सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर अपीलार्थी के चयन रद्द कर दिया गया है। अपीलार्थी पूर्णतया निर्दोष है एवं उनके द्वारा समर्पित सारे तथ्य एवं प्रमाण–पत्र सही है। उनके द्वारा कोई भी भूलवश अज्ञानता में जन्म तिथि–17.10.1984 तथाकथित जन्म तिथि में अन्तर को लेकर अपीलार्थी को चयन के अयोग्य करार नहीं किया जा सकता है, चूँकि जानबूझ कर ऐसा नहीं किया गया। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्गत सत्यापन प्रतिवेदन में अपीलार्थी द्वारा 339 अंक प्राप्त किया जाना प्रतिवेदित है, जबकि भूलवश अपीलार्थी ने 329 अंक अंकित कर दिया जो प्राप्तांक से 10 अंक कम है। अपीलार्थी ने अपने कारण पृच्छा में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष अपनी भूल स्वीकार की थी, जो व्यर्थ चला गया। अपीलार्थी ने गहरी खेद प्रकट कर कहा है कि उनके द्वारा कोई गलत मंशा से कम अंक अंकित नहीं किया गया था, बल्कि यह एक भूल थी। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि मानवीय भूल पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सम्यक विचार किये बिना एवं तथ्यों को नजर अंदाज कर अपीलार्थी को चयन मुक्त कर दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। अन्ततः अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या–35/14–15 में दिनांक–14.11.2014 को पारित चयन मुक्ति आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

प्रस्तुत वाद में दिनांक–17.09.2016 को ममता कुमारी द्वारा पक्षकार बनाने के मुद्दे पर दिये गये आवेदन पर दिनांक–11.02.2017 को सुनवाई की गयी। आवेदिका ममता कुमारी के मूल बाद में किसी भी स्तर पर पक्षकार नहीं रहने एवं आशंका के आधार पर समर्पित आवेदन को दिनांक–11.02.2017 को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सरकारी वकील को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

23.9.17

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने वाद संख्या–35/14–15 में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र को फर्जी एवं कूटी करार देते हुए अपीलार्थी को चयन मुक्त कर चयनित सेविका के विरूद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। चूँकि पत्रांक–185, दिनांक–07.03.2014 को संस्कृत बोर्ड के पत्र में सत्यापन प्रतिवेदन में जन्मतिथि तथा प्राप्तांक में अंतर प्रतिवेदित किया गया है एवं जिससे अपीलार्थी के अभ्यर्थिता एवं योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ग्राम सभा में भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं था तथा आवेदिका ने पर्याप्त साक्ष्य दिये हैं। अतः अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. कोषांग, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को प्रभार दिलाना सुनिश्चित करेंगे। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

22.9.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

21.9.17

जिलाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 1505-2/ विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

25.09.017

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।